न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 85/2023 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. ईश्वर लाल पुत्र बाबू लाल कलाल निवासी निम्बाहेडा जाटान तहसील करेडा, जिला भीलवाड़ा।

—प्रार्थी

बनाम

1. थानाधिकारी, करेडा जिला भीलवाड़ा

—अप्रार्थी/विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 457 दण्ड प्रक्रिया संहिता

उपस्थित –

1. अधिवक्ता प्रार्थी– रतनलाल जाट।

निर्णय

दिनांक : 19·12.2023

1– प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 457 दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर अंकित किया गया कि प्रार्थी का वाहन पिकअप जिसके रजिस्ट्रेशन नंबर GJ07 YZ9314 जिसे पुलिस द्वारा मुकदमा संख्या 230/2023 पुलिस थाना, करेडा के अपराध अंतर्गत धारा 5, 8 राज0 गोवंश अधिनियम, 1995 में जब्त किया है। पुलिस को तफतीस में उक्त वाहन की अब कोई आवश्यकता नही हैं। न्यायालय द्वारा जब भी उक्त वाहन को तलब किया जायेगा प्रार्थी अपने स्वयं के खर्चे से उपस्थित कर देगा। प्रार्थी उक्त वाहन को अपनी सुपुर्दगी में प्राप्त करने हेतु संतुष्टि प्रतिभूति व स्वयं का सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का वाहन पिकअप, रजिस्ट्रेशन नंबर GJ07 YZ9314 को प्रार्थी को सुपुर्द कराये जाने का आदेश प्रदान कराने हेतु निवेदन किया गया है।

2– प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 31.10.2023 को पंजीबद्ध करते हुए विपक्षी से प्रकरण में की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट तलब की गयी। थानाधिकारी, करेडा द्वारा पत्रांक 4777 दिनांक 04.11.2023 से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया कि प्रकरण के अनुसंधान में जब्तशुदा घटना में प्रयुक्त वाहन की आवश्यकता नहीं है।

3– प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी का वाहन वाहन पिकअप, रजिस्ट्रेशन नंबर GJ07 YZ9314 थाना परिसर में पड़े–पड़े खराब हो रहा है एवं अनुसंधान में अब उक्त वाहन की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रार्थी को उक्त वाहन जमानत पर सुपुर्द कराये जाने का आदेश प्रदान किया जावें।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

4— प्रार्थी की बहस सुनी गयी एवं दस्तावेजात का परीक्षण किया गया। **माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने न्यायिक विनिश्चय AIR2003SC638 सुन्दरबाई अम्बालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि न्यायालय को विचारण के लंबन काल के दौरान मालखाने के बाबत् प्रकरण के विचारण से पूर्व सुपुर्दगी पर या अंतिम निस्तारण बाबत् आदेश आज्ञापक रूप से पारित कर देना चाहिए।**

5— हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति ने जप्तशुदा उक्त वाहन का सुपुर्द किये जाने हेतु कोई प्रार्थना पत्र या क्लेम पेश नहीं किया है। उक्त वाहन की अभियोजन अधिकारी/अनुसंधान अधिकारी ने प्रकरण में फिलहाल आवश्यकता होना जाहिर नहीं किया है। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूर्वाक्त न्यायिक दृष्टान्त में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में जप्तशुदा वाहन का नियमानुसार निस्तारण किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है एवं अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है। अतएवं–

आदेश

अतः प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 457 दण्ड प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय के संतुष्टिप्रद 8,00,000/– (आठ लाख) रूपये का जमानत नामा व 6,00,000/– (छः लाख) रूपये का सुपुर्दगीनामा पेश कर तस्दीक किये जाने से पुलिस द्वारा जप्त किये गये वाहन पिकअप, रजिस्ट्रेशन नंबर GJ07YZ9314 जिसके ईंजन नंबर TBK4K55594, चेचिस नंबर MA1ZP2TBKK2K86884 को प्रार्थी को निम्न शर्तो पर अंतरिम रूप से सुपूर्द किये जाने का आदेश दिया जाता है, यदि प्रार्थी–

1. वाहन को जब भी न्यायालय तलब करेगा, तब प्रार्थी वाहन को स्वयं के खर्चे पर पेश करेगा।
2. वाहन के रंग रोगन/आकार–प्रकार में किसी प्रकार का बदलाव नहीं करेगा।
3. वाहन को बिना न्यायालय की अनुमति के खुर्द–बुर्द नहीं करेगा।

इस संबंध में विपक्षी थानाधिकारी, करेडा को इस आशय की तहरीर अविलम्ब जारी हो कि यदि पुलिस को किसी अन्य मामले में उक्त वाहन की आवश्यकता नहीं हो तो उक्त आदेशानुसार उक्त वाहन पिकअप, रजिस्ट्रेशन नंबर GJ07YZ9314 जिसके ईंजन नंबर TBK4K55594, चेचिस नंबर MA1ZP2TBKK2K86884 प्रार्थी को सुपुर्द किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

19/12/23

(आशीष मोदी)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा